न्यायलय–पवन कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर
परिवाद संख्या–4737 / 2023

राज कुमार प्रसाद ..... परिवादी

बनाम

नंद लाल प्रसाद एवं अन्य ..... अभियुक्तगण

दिनांक 12.12.2024

परिवादी के तरफ से उनके अधिवक्ता द्वारा वकालतन हाजिरी दी गयी। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को संज्ञान के बिन्दू पर सुनने के पश्चात् वाद अभिलेख आज इस आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये अभियोग के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला बनता है अथवा नहीं ।

आदेश

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि दिनांक 13.04.2023 को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में परिवाद वाद संख्या 640 / 2023 परिवादी राज कुमार प्रसाद द्वारा नंद लाल प्रसाद एवं अभिषेक कुमार के विरूद्ध धारा 323 / 406 / 420 / 379 / 504 / 506 / 34 भा.द.वि. के अन्तर्गत दाखिल किया गया है जिसे न्यायालय द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने हेतु धारा 156 (3) दं. प्र. सं. के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करने हेतु मानगो थाना भेजा गया जहां मानगो थाना काण्ड संख्या 105 / 2023 दिनांक 12.04.2023 अन्तर्गत धारा 323 / 406 / 420 / 379 / 504 / 506 / 34 भा.द.वि. के अन्तर्गत अभियुक्त नंद लाल प्रसाद एवं अभिषेक कुमार के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधानोपरान्त अनुसंधानकर्ता द्वारा अभियुक्त नंद लाल प्रसाद एवं अभिषेक कुमार के विरूद्ध धारा 323 / 406 / 420 / 379 / 504 / 506 / 34 भा.द.वि. के अन्तर्गत दीवानी मामला दिखाते हुए अंतिम प्रतिवेदन संख्या 150 / 2023 दिनांक 06.06.2023 समर्पित किया गया । न्यायालय द्वारा भेजे गये नोटिस प्राप्त करने के उपरान्त परिवादी राज कुमार प्रसाद न्यायालय में उपस्थित होकर नालसी सह विरोध पत्र दाखिल किये जिसके आधार पर उपरोक्त परिवाद वाद नंद लाल प्रसाद एवं अभिषेक कुमार के विरूद्ध धारा 323 / 406 / 420 / 379 / 504 / 506 / 34 भा.द. वि. के अन्तर्गत दिनांक 14.09.2023 को न्यायालय में दाखिल किया गया। परिवादी राज कुमार प्रसाद का धारा 200 दं. प्र. सं. के अन्तर्गत शपथ पर बयान दिनांक 23.11.2023 को हुआ।

परिवाद वाद के समर्थन में परिवादी साक्षी संख्या 1 जय प्रकाश प्रसाद तथा परिवादी साक्षी संख्या 2 आकाश कुमार को परीक्षित कराया गया जिन्होंने परिवादी के शपथ पर बयान का कुछ हद तक समर्थन किया है।

परिवादी का वाद संक्षेप में यह है कि परिवादी तथा अभियुक्त संख्या 1 नंद लाल प्रसाद सौतेले भाई हैं तथा अभिषेक प्रसाद नंद लाल प्रसाद के पुत्र हैं, परिवादी के पिता स्व. बंगाली प्रसाद संडक लक्ष्मी

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/JHJR030144602023/truecopy/order-1.pdf

देवी से शादी करने के पूर्व परिवादी की मां राजमुनी देवी बंगाली प्रसाद की प्रथम पत्नी थी। पहली पत्नी राजमुनी देवी से दो पुत्र एवं दो पुत्री थी। परिवादी के पिता की मृत्यु के पश्चात् उनकी माता लक्ष्मी देवी द्वारा कुछ जमीन संपत्ति जिसके अन्तर्गत मकान संरचना जो कि मानगो में स्थित है दिनांक 11.06. 1970 को क्रय किये एवं अपने परिवार के सदस्य के साथ रह रही थी तब अभियुक्त द्वारा परिवादी के घर आकर परिवादी के घर वाली संपत्ति को अतिक्रमित करने का प्रयास करने लगे तथा इस दौरान परिवादी को एवं उनके परिवार के सदस्य को गाली गलौज करने लगे तथा परिवादी एवं उसकी बूढ़ी माता के साथ मारपीट करने लगे।

उपरोक्त बातों की सूचना आजादनगर थाना को दी गयी, किन्तु सब बेकार गया, दिनांक 18.11. 2015 को अभियुक्त व्यक्ति द्वारा भाड़े के गुंडा को लाकर परिवादी के घर के निचले तल्ले के तीन रूम को कब्जा कर लिया गया है। जिसकी सूचना एस.पी. जमशेदपुर को दी गयी। स्थानीय लोगों के प्रयास के बावजूद परिवादी का घर अभियुक्त संख्या 1 नंद लाल प्रसाद छोड़ने के लिए सहमत हुआ। उसके बदले में 4,00,000 / –रूपया नगद परिवादी से मांग किया गया, तथा परिवादी की मां द्वारा शांति बनाये रखने के लिए दिनांक 25.07.2018 को 4,00,000 / –रूपया चेक संख्या 796021 उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जमशेदपुर शाखा का दिया गया। अभियुक्त नंद लाल प्रसाद द्वारा उपरोक्त रकम प्राप्त करने को स्वीकार किया गया एवं आश्वासन दिया गया कि वो मकान खाली कर देगा किंतु रूपया प्राप्त करने के बाद भी मकान खाली नहीं किया एवं अभियुक्त व्यक्ति द्वारा परिवादी एवं उसके परिवार के सदस्यों को गाली गलौज एवं मारपीट किया जाता रहा।

परिवादी द्वारा निम्न दस्तावेज दाखिल किया गया है।

1. वरीय आरक्षी अधीक्षक महोदय को दिनांक 26.11.2015 को दिया गया आवेदन की फोटो कॉपी
2. लक्ष्मी देवी द्वारा थाना प्रभारी आजादनगर मानगो को दिये गये आवेदन दिनांक 20.02. 2022 की फोटो कॉपी।
3. मनी रसीद दिनांक 25.07.2018 की फोटो कॉपी।
4. विक्रय विलेख दिनांक 11.06.1970 की फोटो कॉपी।

परिवादी द्वारा अपने शपथ पर बयान में कथन किया गया है कि यह केस इन्होंने नंद लाल और अभिषेक प्रसाद के उपर किया है। इन्होंने यह प्रोटेस्ट पीटिशन फाइल किया है। इससे पहले इन्होंने शिकायतवाद पत्र 640 / 2023 इसी न्यायालय में दाखिल किया था जो न्यायालय द्वारा थाना भेजा गया था जिसमें विपक्षी से मिलकर थानावालों ने एफ.आर.टी. भेज दिया था, तब इन्होंने यह प्रोटेस्ट पीटिशन फाइल किया। आगे शपथ पर बयान में कहे हैं कि अभियुक्त नंद लाल इनका सौतेला भाई और अभिषेक प्रसाद इनका भतीजा है। नंदलाल की मां के मृत्यु के बाद इनकी मां इनके पिताजी बंगाली प्रसाद की दूसरी पत्नी है। इनके पिताजी ने इनके जीवनकाल में नंदलाल और इनका संपत्ति का बंटवारा कर दिया था, जिस संपत्ति पर विवाद है वह संपत्ति इनके नाना के द्वारा इनकी मां को दिया गया था, चूंकि पहले

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/JHJR030144602023/truecopy/order-1.pdf

ये लोग संयुक्त परिवार थे जिसमें नंदलाल भी अपने परिवार सहित रहते थे। संपत्ति के बंटवारे के बाद उसने कहा था कि वह अपना घर बनाकर चला जायेगा, लेकिन मकान बनाने के बाद भी वह नहीं गया। आगे शपथ पर बयान में कहे हैं कि ये इन लोगों ने एक सामाजिक मिटींग किया जिसमें नंदलाल और उसके बेटे ने 4 लाख रूपया मांगा। इन्होंने बैंक ट्रांसफर के माध्यम से उसे 4 लाख रूपया दिया, जिसका मनी रसीद भी बना। जिसमें नंदलाल ने अपने हाथ से लिखकर दिया कि 4 लाख रूपया मिलने पर वह इनका घर खाली कर देगा, लेकिन नंदलाल की नीयत बदल गया और वह ये लोगों के साथ घर खाली करने को लेकर मारपीट और गाली गलौज करता है। इनकी मां को भी गाली गलौज और मारपीट करता है और ये लोग के नहीं रहने पर इनके घर के सामानों की चोरी करता है इस बात की सूचना इन्होंने आजादनगर थाना एस.पी. और एस.डी.ओ. को भी दिया। ये 2015 में इस बात को लेकर परेशान हैं इनकी मां ने भी हर जगह आवेदन दिया है। वह कांग्रेस के नेता को लेकर भी इनके साथ मारपीट करता है। घ ार खाली करने को लेकर बोलने पर इन्हें जान से मारने की धमकी भी देता है।

न्यायालय द्वारा पूछे गये प्रश्न में परिवादी ने कहा है कि संपत्ति के बंटवारे का कोई कागज नहीं बना था तथा इस केस के माध्यम से वे अभियुक्त को अपने घर से खाली कराना चाहते हैं।

जांच साक्षी जय प्रकाश प्रसाद जो परिवादी के भाई हैं, जिन्होंने न्यायालय द्वारा पूछे गये प्रश्न के जवाब में कहा है कि मकान खाली कराने का विवाद है जिसके लिए बंटवारा वाद या दीवानी वाद दाखिल नहीं किये हैं। नंदलाल और उसका बेटा अभिषेक इन्हें और इनकी मां के साथ मारपीट करते थे।

जांच साक्षी आकाश कुमार ने न्यायालय द्वारा पूछे गये प्रश्न के जवाब में कहा है कि 4,00,000/–रूपया का लिखित करार बना था उसका कागज न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं।

परिवादी के शपथ पर बयान एवं जांच साक्षियों के साक्ष्य एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के पश्चात् इस वाद के अभियुक्तगण नंद लाल प्रसाद और अभिषेक कुमार के विरूद्ध धारा 323/34 भा. द. वि. के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनता है एवं अभियुक्तगण नंद लाल प्रसाद और अभिषेक कुमार के विरूद्ध धारा 323/34 भा. द. वि. के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है। अभिलेख पर मनी रसीद है, जिसके अवलोकन से यह स्प्ष्ट होता है कि नंदलाल प्रसाद द्वारा 4,00,000/–रूपया चेक के माध्यम से लक्ष्मी देवी से लिया गया था। जांच साक्षी द्वारा लिखित करार होने की बात कही गयी है लेकिन लिखित करार प्रस्तुत नहीं करने के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि 4,00,000/–रूपया किस बात के लिए अभियुक्त को दिया गया था।

अभियुक्त नंदलाल प्रसाद एवं परिवादी राज कुमार प्रसाद आपस में सौतेले भाई हैं, एवं दोनों के बीच मकान को खाली करने का विवाद चल रहा है जिसे परिवादी द्वारा स्वीकार भी किया गया है। परिवादी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि संपत्ति के बंटवारे का कोई कागज नहीं बना है तथा इस केस के माध्यम से अभियुक्त अपने घर को खाली कराना चाहता है।

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/JHJR030144602023/truecopy/order-1.pdf

अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त के साथ आपराधिक न्यास भंग या छल का अपराध किया गया था तथा अभियुक्त द्वारा परिवादी को धमकी एवं गाली गलौज किया गया हो तथा परिवादी के घर से सामान की चोरी की गयी हो।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थिति एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध 406 / 420 / 379 / 504 / 506 / 34 भा. द. वि. के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध भा. द. वि. की धारा 406 / 420 / 379 / 504 / 506 / 34 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

अतः उपरोक्त मामले के तथ्यों एवं अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आलोक में उपरोक्त वाद में धारा 323 / 34 भा. द. वि. के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है एवं अभियुक्तगण नंदलाल प्रसाद एवं अभिषेक कुमार के विरूद्ध धारा 323 / 34 भा. द. वि. के अन्तर्गत सम्मन निर्गत किये जाने का आदेश दिया जाता है।

परिवादी को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी अपेक्षिता शुल्क न्यायालय में दाखिल करें।

वाद अभिलेख दिनांक 13.01.2025 को अपेक्षिता शुल्क दाखिल करने हेतु।

Sd/-

लेखापित

न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी,
जमशेदपुर

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/JHJR030144602023/truecopy/order-1.pdf